

फर्द-अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मिनाय जिला-अजमेर(राज०)
 प्रकरण संख्या- /

बनाम.....

अन्तर्गत धारा:-.....

हुस या कार्यवाही इनिशियल्य जज

तारीख हुस

अस अफ वास्ते विद्ने फावली पेश किया गया/वकील
 उर्षीतषा उर्षी स्वयं से फावली विद्ने उर्षीना फा पर हुनागण
 वकील उर्षीतषा उर्षी स्वयं द्वारा न्यायालय समक्ष किवेदन
 किया गया कि उर्षी शरा मूल वार फा वास्ते स्वामी निषेधात्ता
 पेश किया गया है, जो कि मूल वार वतषा सद्वहन से पेश हुआ
 एवकि 'उर्षी अपनी उद्योगत ^{संयुक्त} आराजी' फात क विधिक
 खंटावा न्याहते हैं अतः नवीन वर फा पेश करने के अपने
 अधिकारी की सुरक्षित रखते हुये 'उर्षीना फा' धारा 2144 फा
 विद्ने करते हैं। इस बाबत वकील उर्षी तथा उर्षी स्वयं द्वारा
 उर्षीना फा पेश किया गया तथा फावली शफेरीशु पर स
 वखर टिप्पणी दर्ज की गई। उर्षी नवीन उर्षीना धारा 2144 फा
 पेश करने के अपने अधिकारी की सुरक्षित रखते हुये उर्षीना
 फा विद्ने किया गया हो ऐसी स्थिति फावली पर शानि की है
 कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः उर्षी तथा
 उर्षी संघबन्त) द्वारा उल्लत उर्षीना, लिखित टिप्पणी तथा
 शौखिक निषेधा की लीकार किया जाकर उर्षी के नवीन
 वर फा पेश करने के अधिकारी की सुरक्षित रखते हुये,
 फावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।
 फावली फेबल शुमार है। नम्बर से कम टैकर हाथिल
 टपल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
 मिनाय (अजमेर)